## अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
## प्रशासन गांवों के संग–2021, केम्प–साण्डेराव
### बइजलास :– श्री ऋषभ मण्डल, आई.ए.एस.

| | | |
|---|---|---|
| राजस्व अपील संख्या | : | 02 / 19 |
| जी.सी.एम.एस. | : | 2019 / 00019 |
| दायर तिथि | : | 18.01.2019 |
| तारीख निर्णय | : | 12.11.2021 |

अपीलांट :–

1. नरायणलाल पुत्र दलाजी
2. श्रीमती देवली पत्नी नारायणलाल
   जातिगण – मारू कुम्हार, निवासीगण – साण्डेराव
   तहसील– सुमेरपुर (पाली)

**बनाम**

रेस्पोडेंट :–

1. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब सुमेरपुर जिला – पाली
3. स्व. गंगादेवी पत्नी ताराजी कुम्हार नि. साण्डेराव लाऔलाद फौत के वारिसान जो कोई हो।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956**
विरुद्ध नामांतकरण संख्या 528 दिनांक 01.09.1998
सरपंच ग्राम पंचायत साण्डेराव द्वारा स्वीकृत को निरस्त करने बाबत

1. उपस्थिति : –
   पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 कैम्प साण्डेराव में पेश हुयी।
2. अपीलांट की ओर से अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:–
   A. सरहद मौजा साण्डेराव प्रथम पटवार क्षेत्र साण्डेराव प्रथम भू.अ.नि. साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली में खसरा नं. 620 कुल रकबा 2.2000 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम आयी हुई स्थित है जो हीराजी जाति मारू कुम्हार निवासी साण्डेराव के नाम दर्ज रही है। ताराजी की मृत्यु दिनांक 25.02.1997 को हो चुकी है। ताराजी द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त खातेदारी भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20.07.1993 को हम अपीलान्ट को वसीयत की हुई है। उक्त वसीयतनामा की सम्पूर्ण जानकारी ताराजी के वारिसान उनकी पत्नी गंगादेवी को रही है।
   B. ताराजी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि पर हम अपीलान्ट का संयुक्त कब्जा स्वामित्व है। लेकिन ताराजी की धर्मपत्नी गंगादेवी को उपरोक्त वसीयत की जानकारी होने के उपरान्त भी गंगादेवी ने ताराजी की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर अपने नाम दर्ज करवा दिया। जबकि ताराजी के स्वर्गवास के बाद ही अपीलान्ट ने वसीयत की प्रति हल्का पटवारी को दे दी थी। लेकिन पटवारी ने वसीयत के आधार पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया। तथा हल्का पटवारी ने गंगादेवी से मिलकर उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 528 भर दिया। उक्त नामान्तरकरण सं.

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

528 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरपंच ग्राम पंचायत साण्डेराव ने बिना जांचे ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया।

C. ताराजी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर अपीलान्ट का एकमात्र कब्जा आज दिन तक शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। ताराजी की पत्नी लाआलौद गंगादेवी की मृत्यु दिनांक 07.05.2015 को हो चुकी है। अपीलान्ट को अपने खाते की नकल प्राप्त करने पर हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया कि आपके नाम से कोई खातेदारी भूमि नहीं है। तब नामान्तरकरण सं. 528 दिनांक 01.09.1998 की नकल प्राप्त की और जानकारी प्राप्त हुई। उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण ताराजी के स्वर्गवास के बाद उनकी धर्मपत्नी गंगादेवी ने गलत तरीके से नामान्तरकरण भरवाया जिसे रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बिना जांचे ही स्वीकृत किया है।

3. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपील का जवाब प्रस्तुत किया कि :–

A. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपना जवाब पेश किया कि ग्राम साण्डेराव चक प्रथ्ज्ञम खसरा नं. 620 रकबा 2.20 हैक्टेयर किस्म जवाई नहर प्रथम आयी हुई है। जो तारीया पुत्र हीरा जाति कुम्हार के नाम दर्ज थी। उक्त खसरे का तारीया ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28.07.1993 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रार्थीगण के पक्ष मे कर लिया था। तारीया की मृत्यु दिनांक 25.02.1997 को होने पर उस खसरे का नामान्तरकरण सं. 528 दिनांक 01.09.1998 को उसके पत्नी गंगा बेवा तारीया के नाम ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।

B. गंगा बेवा तारीया भी दिनांक 07.05.2015 को फौत हो चुकी है एवं उसके कोई औलाद नहीं है। अतः उक्त नामान्तरकरण सं. 528 दिनांक 01.09.1998 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये निर्णय को अपास्त कर पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण करने की अनुशंषा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

हमने अपील के तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जिसमें नामान्तरकरण सं. 528 में तारीया की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर वसीयत अनुसार फौतेदगी नामानतरकरण दर्ज नहीं किया गया है। तहसीलदार सुमेरपुर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा साण्डेराव पटवार क्षेत्र साण्डेराव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साण्डेराव तहसील सुमेरपुर में खसरा नंबर 620 में नामांतरकरण सं. 528 दिनांक 01.09.1998 को अपास्त कर पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण करे।

निर्णय आज दिनांक 12–11–2021 को मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प साण्डेराव में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ऋषभ मंडल I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)